1406

(8)

संख्या–4332/XVIII-(2)/14-4(38)/2014

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 26 सितम्बर,2014

विषयः– प्राकृतिक आपदा एस.पी.ए.(आपदा 2013) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित कार्यो के पुनर्निर्माण / गतिविधियो हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–190/203/UWCDS/2014-15, दिनांक 07 अगस्त,2014 व महिला एवं बाल विकास विभाग के शासनादेश संख्या–698/XVII(4)/2014/2(10)/2012 TC, दिनांक 28.03.2014 के कम में महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा पत्रावली संख्या–02(10) / 2012 T.C के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013 में आयी भीषण प्राकृतिक आपदा, बादल फटने एवं बाढ़ आदि के कारण भारत सरकार द्वारा आपदाग्रस्त जनपदों हेतु विशेष योजनागत सहायता हेतु आपदा प्रबन्धन विभाग की अनुदान संख्या–6, लेखाशीर्षक–2245, एस0पी0ए0 (आपदा 2013) में उपलब्ध बजट व्यवस्था के सापेक्ष उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति के अन्तर्गत Sustainsable Livelihood Approach for Women and Adolescent Girls in Natural Disaster in Affected Area of Rudraprayag District एवं Cure के अन्तर्गत आपदा प्रभावित महिलाओं को निःशुल्क एल0पी0जी0 गैस कनैक्शन के आवंटन सहित अन्य सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन हेतु कुल ₹ 223.00 लाख (₹ दो करोड़, तेईस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– वर्णित योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा सी.एस.एस. / केन्द्र पोषित योजनाओं के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देश, मानकों एवं नियमों का पालन किया जायेगा तथा तत्काल सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2– स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त है।

3– धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।

4– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा आंगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय कदापि न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये न छोड़ी जाय।

5– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

6– यह धनराशि आपदा 2013 से हुई क्षतियों के पुनर्निर्माण के लिये है। अतः किसी भी दशा में जून, 2013 से पूर्व के कार्यो के लिये इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

7– सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, आई0सी0डी0एस0 / आहरण एवं वितरण अधिकारी अवमुक्त धनराशि का विवरण बी.एम.–10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार, उत्तराखण्ड, राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

क्रमशः–2

8– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, आई0सी0डी0एस0 / जिलाधिकारी / कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

9– कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आंगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10– त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

11– विभागाध्यक्ष आई0सी0डी0एस0 द्वारा सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रश्नगत चालू कार्यों का मासिक रूप से भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12– धनराशि का आहरण सी.सी.एल. हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

13– उल्लिखित कार्यों / योजनाओं पर मानकानुसार यथाप्रक्रिया भारत सरकार आदि का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। आंगणन में स्वीकृत कार्य / मानक एवं दरों के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।

14– यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु आई0सी0डी0एस0 के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी। स्वीकृत की जा रही योजनायें किसी अन्य मद से पूर्व में स्वीकृत न की गई हो, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की दोहराव (Duplicacy) की स्थिति के लिये विभाग के निदेशक, आई0सी0डी0एस0 पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

15– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–6 के लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0110–एस.पी.ए. (आपदा 2013) के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास हेतु अनुदान–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

16– यह आदेश वित्त विभाग के अ.प.सं.– 54 P/XXVII(5)/2014, दिनांक 23 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव

संख्या–4332(1)/XVIII-(2)/14-4(38)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
7– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
8– निदेशक / उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति, देहरादून।
9– कोषाधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
10– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
11– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
13– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
15– गार्ड फाइल।

आज्ञा से.

(भास्करानन्द)
सचिव